



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्रतिनियुक्ति समाप्त/वि.अ./2017-08812/ जयपुर,दिनांक:-

**—:आदेश:—**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम
1.	श्री मूलाराम सोलंकी	विकास अधिकारी पंचायत समिति सागवाडा (डूंगरपुर)
2.	श्री छोटूसिंह काजला	विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा (उदयपुर)
3.	श्री सन्त कुमार मीणा	विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला (बीकानेर)

उपरोक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र क्रमांक 1310 दिनांक 07.06.21 के अनुसरण में पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी को संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
11. जिला कलक्टर, संबंधित।
12. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
14. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
15. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
16. आदेश पत्रावली।

RajKaj Ref  
5538058



उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

RajKaj Ref  
5538058